राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्र.: एफ२१(२८) ग्रावि / नरेगा / 2010–11 जयपुर, दिनांक : - 2 JUL 2010

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,
समस्त राजस्थान।

विषय :– प्रथम किश्त की बकाया राशि जारी करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि जिलों द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के प्रारम्भिक शेष तथा जिलों द्वारा किये गये वास्तविक व्यय की सूचना प्रेषित किये बिना ही राशि की मांग की जाती है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रथम किश्त की राशि वित्तीय वर्ष के 6 माह के लेबर बजट प्रावधान में से प्रारम्भिक शेष को समायोजित करते हुए जारी करने का प्रावधान है। राज्य सरकार द्वारा बार–बार लिखने के उपरांत भी जिलों द्वारा वास्तविक प्रारम्भिक शेष की जानकारी प्रेषित नहीं की गई है। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं समय पर श्रमिक भुगतान को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार द्वारा माह मार्च, 2010 की एमपीआर के आधार पर प्रारम्भिक शेष मानकर राशि जारी की गई है। यह देखने में आया है कि कई जिलों द्वारा बार–बार प्रारम्भिक शेष में परिवर्तन किया जा रहा है, जो कि नियमान्तर्गत उचित नहीं है।

अतः प्रथम किश्त की बकाया राशि जारी करने हेतु निम्न प्रारूप में लौटती फैक्स से सूचना उपलब्ध करावें :–

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	दिनांक 1.4.10 का प्रारम्भिक शेष	वित्तीय वर्ष 2010–11 में जारी की गई राशि			दिनांक 30.6.10 तक व्यय राशि	जिले के पास उपलब्ध शेष (कॉलम सं. 5–6)	जुलाई, 2010 से सितम्बर, 2010 तक के लिए लेबर बजट अनुमानों के आधार पर वांछित राशि	आधिक्य / बचत की स्थिति
		केन्द्रीय अंश	राज्यांश	कुल				
1	2	3	4	5	6	7	8	9

उपरोक्त सूचना प्रेषित नहीं करने वाले जिलों के बारे में यह समझा जाएगा कि उनके पास योजना के क्रियान्वयन हेतु पर्याप्त निधियां उपलब्ध हैं।

भवदीय

(श्रीनिवास मीना)
मुख्य लेखाधिकारी, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
2. परियोजना अधिकारी (लेखा) जिला परिषद समस्त राजस्थान को प्रेषित कर निर्देश हैं कि जिले के पास उपलब्ध निधियों की समीक्षा कर वास्तविक स्थिति से अवगत करावें।

मुख्य लेखाधिकारी, ईजीएस

\\10.68.25.8\d\Letter Accounts.doc